

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1281
12 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि वृद्धि दर

1281. श्रीमती सम्पतिया उइके:

श्रीमती छाया शर्मा:

चौधरी सुखराम सिंह यादव:

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:

श्री संजय सिंह:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त के संबंध में योजना-वार और राज्य/संघ क्षेत्र-वार कितनी निधि आवंटित की गई;

(ख) कृषि क्षेत्र के संबंध में वर्तमान वृद्धि दर कितनी है;

(ग) किसानों की आय को दुगना करने के लिए कृषि क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता है; और

(घ) सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में उक्त दर हासिल करने के संबंध में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): कृषि, राज्य का विषय होने के नाते, राज्य सरकारें राज्य में कृषि ऋणग्रस्तता सहित कृषि के विकास के लिए उचित उपाय करती हैं। हालाँकि, भारत सरकार उचित नीति उपायों और बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरा करती हैं। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों से अभिप्राय उत्पादन, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय को बढ़ाकर किसानों के कल्याण से है।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा 29 जनवरी, 2021 को जारी किए गए वर्ष 2019-20 के लिए प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 के दौरान स्थिरमान 2011-12 कीमतों पर 4.3% है।

सरकार ने अप्रैल, 2016 में "किसानों की आय दोगुनी करने" से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इसे प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करने के लिए एक अंतर-मंत्रालय समिति का गठन किया। समिति ने सितंबर, 2018 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की रणनीति शामिल है। डीएफआई समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद, सरकार ने प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए एक अधिकार प्राप्त निकाय 'का गठन किया है।

वार्षिक विकास लक्ष्य के अनुसार, आधार वर्ष 2015-16 की तुलना में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

सरकार ने कई विकासात्मक कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों को अपनाया है जो किसानों के लिए उच्च आय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन सभी नीतियों और कार्यक्रमों को उच्च बजटीय आवंटन, कॉर्पस फंड बनाने के माध्यम से गैर-बजटीय वित्तीय संसाधनों और पीएम-किसान के तहत अनुपूरक आय हस्तांतरण द्वारा सहायता दी जा रही है। नवीनतम प्रमुख हस्तक्षेप में आत्मनिर्भर भारत - कृषि पैकेज 'शामिल है जिसमें व्यापक मंडी सुधार और 1 लाख करोड़ रूपए का (कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)) का सृजन शामिल है।

इन सभी पहलों से यथालक्षित 2022 तक वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने और किसानों की आय को दोगुना करने की उम्मीद है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित निधि **अनुबंध** में दी गई है।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा
कार्यान्वित योजनाओं पर आवंटित राज्य-वार निधियों का विवरण
योजना का नाम: बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन

(रूप में करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	8.50	13.10	10.17	16.50	11.50
2	अरुणाचल प्रदेश	0.25	0.25	2.00	1.60	1.00
3	असम	12.85	15.20	14.50	17.60	17.00
4	बिहार	7.85	14.50	4.80	14.50	11.50
5	चंडीगढ़		-	-		-
6	छत्तीसगढ़	3.43	4.90	5.80	10.30	10.00
7	दादरा और नगर हवेली		-			
8	दमन और दीव		-			
9	दिल्ली	37.96	-	1.00	2.50	1.50
10	गोवा	0.04	0.05	1.00	-	-
11	गुजरात	2.40	3.00	8.80	12.00	12.50
12	हरियाणा	0.45	0.68	2.35	3.50	9.50
13	हिमाचल प्रदेश	5.05	5.00	7.51	4.50	13.50
14	जम्मू और कश्मीर	8.53	7.00	9.50	11.70	17.50
15	झारखंड	0.08	0.58	4.55	4.90	6.00
16	कर्नाटक	6.40	6.00	7.23	11.80	8.50
17	केरल	0.71	0.69	1.00	3.60	11.50
18	लक्षद्वीप		-		-	
19	मध्य प्रदेश	0.00	12.00	32.62	38.90	20.50
20	महाराष्ट्र	18.00	10.00	22.05	32.30	23.00
21	मणिपुर	8.95	0.25	2.00	1.10	1.50
22	मेघालय	1.70	0.50	2.00	1.65	2.00
23	मिजोरम	0.50	0.50	2.00	0.75	0.75
24	नगालैंड	0.25	2.30	3.00	2.55	1.75
25	ओडिशा	2.25	0.95	6.70	8.90	12.50
26	पांडिचेरी	1.00	1.00	1.00	0.50	1.50
27	पंजाब	0.80	3.35	1.00	3.80	11.50
28	राजस्थान	3.36	7.65	16.80	14.00	17.00
29	सिक्किम	8.36	-	1.00	0.50	1.50
30	तमिलनाडु	0.00	10.70	16.72	13.00	15.00
31	तेलंगाना	9.12	9.04	7.40	9.50	13.50
32	त्रिपुरा	7.60	1.00	1.00	1.85	2.00
33	उत्तर प्रदेश	0.20	13.87	46.55	29.50	27.50
34	उत्तराखंड	22.75	4.00	11.13	9.10	10.00
35	पश्चिम बंगाल	6.28	0.60	3.57	2.40	4.00
36	एनएससी		20.34	34.05	19.00	26.67
37	इररी		15.00	25.00	25.00	10.00
38	एनएसआरटीएस		2.56	4.80	4.28	4.77
39	पीपीवी एण्ड एफआरए		19.50	20.00	54.15	50.50
40	सी. एजेंसी					-
41	प्रो. सर्विस		-	-	-	0.10
कुल :		186.10	206.06	340.60	387.73	389.04

योजना का नाम: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य के नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	87.04	119.50	74.06	55.68	47.94
2	अरुणाचल प्रदेश	13.05	13.12	9.60	17.35	8.55
3	असम	108.32	152.79	162.21	227.64	164.48
4	बिहार	111.46	101.67	83.63	86.49	54.92
5	छत्तीसगढ़	75.89	93.26	111.82	131.99	88.16
6	गोवा	0.38	0.58	0.13	0.13	0.13
7	गुजरात	50.01	37.91	26.86	34.55	22.03
8	हरियाणा	23.24	15.68	20.47	23.72	19.98
9	हिमाचल प्रदेश	16.00	13.21	12.92	12.17	11.23
10	जम्मू और कश्मीर	14.26	20.74	12.76	13.44	10.82
11	झारखंड	39.72	59.64	58.70	63.41	34.29
12	कर्नाटक	151.60	146.07	138.94	160.637	119.03
13	केरल	1.55	1.22	1.08	1.04	0.88
14	लद्दाख					0.39
15	मध्य प्रदेश	337.58	377.28	309.03	403.49	255.59
16	महाराष्ट्र	198.01	161.28	155.90	142.04	153.36
17	मणिपुर	14.79	15.04	13.71	14.60	13.09
18	मेघालय	6.31	8.38	5.95	6.11	6.34
19	मिजोरम	2.26	2.31	3.04	3.19	2.89
20	नगालैंड	21.80	20.29	18.87	21.58	17.03
21	ओडिशा	73.32	79.88	84.98	88.12	92.58
22	पंजाब	19.69	14.88	16.30	16.34	3.02
23	राजस्थान	219.14	190.76	188.82	245.57	201.21
24	सिक्किम	10.41	5.95	11.29	8.07	5.79
25	तमिलनाडु	54.42	51.28	58.16	56.29	38.17
26	तेलंगाना	41.89	51.11	34.27	32.65	28.04
27	त्रिपुरा	10.48	19.03	22.46	14.90	10.43
28	उत्तर प्रदेश	197.53	173.99	192.37	161.07	141.40
29	उत्तराखंड	21.54	17.70	20.49	18.38	15.47
30	पश्चिम बंगाल	57.78	116.43	109.22	113.22	61.40
31	एक प्रायद्वीप					
32	पांडिचेरी					
33	चंडीगढ़					
34	दादरा और नगर हवेली					
35	दमन और दीव					
36	दिल्ली					
37	लक्षद्वीप					
	कुल	1979.47	2080.98	1958.03	2173.844	1628.65

योजना का नाम: पीएमकेएसवाई का प्रति बूंद अधिक फसल घटक

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य के नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	263.00	485.00	520.00	520.00	400.00
2	अरुणाचल प्रदेश	4.75	6.00	25.00	30.00	60.00
3	असम	44.50	35.00	90.00	70.00	80.00
4	बिहार	61.00	41.00	55.00	53.00	45.00
5	छत्तीसगढ़	48.00	65.00	91.00	77.65	45.00
6	गोवा	1.50	2.00	3.00	3.00	1.50
7	गुजरात	260.00	325.00	345.00	355.00	350.00
8	हरियाणा	45.00	20.00	43.00	28.00	25.00
9	हिमाचल प्रदेश	18.25	30.00	30.00	30.00	20.00
10	जम्मू और कश्मीर	16.00	12.00	13.00	45.00	40.00
11	झारखंड	51.00	67.00	75.00	45.00	70.00
12	कर्नाटक	190.00	385.00	405.00	410.00	400.00
13	केरल	30.00	22.00	22.00	15.00	15.00
14	मध्य प्रदेश	202.00	290.00	275.00	170.00	250.00
15	महाराष्ट्र	347.00	475.00	480.00	325.00	400.00
16	मणिपुर	9.75	11.00	40.00	44.00	55.00
17	मेघालय	6.75	11.00	40.00	25.00	25.00
18	मिजोरम	10.50	18.00	75.00	45.00	25.00
19	नगालैंड	9.50	13.00	35.00	53.00	60.00
20	ओडिशा	47.00	51.00	70.00	50.00	45.00
21	पंजाब	14.00	10.00	15.00	15.00	10.00
22	राजस्थान	215.00	168.00	240.00	125.00	200.00
23	सिक्किम	9.50	15.00	70.00	53.00	70.00
24	तमिलनाडु	142.00	335.00	355.00	523.00	400.00
25	तेलंगाना	139.00	326.00	348.00	166.00	88.00
26	त्रिपुरा	10.50	10.00	25.00	30.00	25.00
27	उत्तर प्रदेश	69.00	100.00	115.00	100.00	300.00
28	उत्तराखंड	23.00	32.00	43.00	32.00	50.00
29	पश्चिम बंगाल	38.50	35.00	40.00	45.00	61.00
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप		-	-	1.50	2.00
31	पुडुचेरी		-	-	1.50	2.00
32	लद्दाख					5.00
	कुल	2326.00	3395.00	3983.00	3485.65	3624.50

योजना का नाम: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	228.35	213.8935	204.707	210.3423	185.01
2	अरुणाचल प्रदेश	23.82	41.91624	18.58184	19.4596	26.46
3	असम	279.75	290.9876	202.2888	219.9335	188.49
4	बिहार	258.22	175.6889	168.3898	184.525	179.157
5	छत्तीसगढ़	200.30	166.0794	116.4275	132.6624	126.44
6	गोवा	20.69	17.77021	14.99806	16.27869	17.87
7	गुजरात	315.27	220.1313	114.5783	118.069	134.167
8	हरियाणा	152.40	122.1182	66.07039	68.96814	86.11
9	हिमाचल प्रदेश	52.76	24.42295	23.83993	24.90464	27.02
10	जम्मू और कश्मीर	88.90	113.8418	19.82613	21.17382	8.2
11	झारखंड	155.27	128.7666	101.5096	109.4951	93.58
12	कर्नाटक	247.04	264.721	115.3752	191.1984	249.72
13	केरल	157.71	128.4373	68.28754	66.94543	63.42
14	मध्य प्रदेश	454.89	236.7293	174.3761	182.5315	170.96
15	महाराष्ट्र	396.29	419.6211	247.7764	261.7599	290.88
16	मणिपुर	29.77	17.17458	16.52956	16.32559	19.23
17	मेघालय	20.19	21.10064	20.5805	20.05897	21.27
18	मिजोरम	25.95	10.43169	11.79745	11.73983	13.28
19	नगालैंड	36.94	57.57475	40.3043	38.82618	33.88
20	ओडिशा	342.59	289.0368	198.8038	207.8448	190.597
21	पंजाब	260.50	284.4706	90.60447	90.95334	145.96
22	राजस्थान	262.28	241.2849	159.9951	165.7103	159.84
23	सिक्किम	14.71	6.093538	14.05936	15.59223	9.48
24	तमिलनाडु	147.39	224.145	175.3613	176.6307	176.83
25	तेलंगाना	427.85	127.6796	258.5833	261.1759	177.037
26	त्रिपुरा	34.41	40.38095	53.44872	56.61472	44.21
27	उत्तर प्रदेश	321.98	440.0026	333.549	348.0561	402.143
28	उत्तराखंड	46.87	85.70654	22.77567	23.36537	46.64
29	पश्चिम बंगाल	352.47	306.804	194.2144	223.2708	204.147
30	अंडमान और निकोबार	4.69	2.3	2.5	2.3	2.6
31	चंडीगढ़	0.33	0.150534	0.26	0.2	0
32	डी एंड एन हवेली	5.42	2.860154	3.1	2.9	0.1
33	दमन और दीव	0.94	0.451603	0.57	0.5	0.1
34	दिल्ली	1.50	3.31	3.45	3.3	0
35	पुडुचेरी	1.51	2.66	2.82	2.7	0
36	लक्षद्वीप	0.63	0.3	0.41	0.3	0.01
	सकल योग	5370.58	4729.044	3260.75	3496.612	3494.838

* वर्ष 2020-21 के लिए आरकेवीवाई के तहत कुछ धनराशि अभी आवंटित की जानी है

योजना का नाम: मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य के नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	13.94	12.14	13.46	11.97	8.11
2	अरुणाचल प्रदेश	0.50	0.28	0.66	1.59	0.27
3	असम	6.19	3.76	7.49	6.11	10.00
4	बिहार	12.89	11.78	12.90	15.35	11.28
5	छत्तीसगढ़	6.85	8.45	7.00	2.40	5.07
6	गोवा	0.19	0.23	0.26	0.20	0.10
7	गुजरात	10.57	16.82	18.33	4.33	4.65
8	हरियाणा	4.40	7.10	16.00	2.28	1.77
9	हिमाचल प्रदेश	0.59	1.35	1.51	1.73	7.81
10	जम्मू और कश्मीर	3.26	2.23	2.47	6.70	3.84
11	झारखंड	1.28	1.04	1.49	4.20	8.18
12	कर्नाटक	20.60	14.99	16.71	3.43	7.42
13	केरल	1.32	1.15	2.06	5.15	0.37
14	मध्य प्रदेश	27.47	20.83	23.72	6.69	13.84
15	महाराष्ट्र	24.30	21.12	31.20	8.55	5.69
16	मणिपुर	0.63	0.28	0.34	1.01	0.98
17	मेघालय	0.43	0.53	0.61	0.59	2.58
18	मिजोरम	0.36	0.16	0.23	0.39	0.32
19	नागालैंड	0.74	0.45	0.53	2.13	0.54
20	ओडिशा	6.09	6.02	6.84	6.38	12.94
21	पंजाब	9.58	7.52	8.12	2.01	3.19
22	राजस्थान	22.17	25.78	42.19	5.78	11.26
23	सिक्किम	0.25	0.18	0.88	0.48	0.17
24	तमिलनाडु	12.90	11.47	12.86	5.56	4.11
25	तेलंगाना	9.37	9.31	9.98	8.68	2.50
26	त्रिपुरा	0.79	0.44	0.53	1.64	0.34
27	उत्तर प्रदेश	48.84	44.68	46.39	13.30	27.53
28	उत्तराखंड	2.36	1.83	2.18	1.61	6.35
29	पश्चिम बंगाल	14.60	11.70	12.74	6.56	10.30
30	पुडुचेरी	0.00	0.18	0.20	0.19	0.04
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0.00	0.00	0.08	0.18	0.11
32	दादरा एवं नागर हवेली	0.00	0.00	0.08	0.06	0.00
33	लद्दाख		0.00	0.00	0.00	0.29
	कुल	263.46	243.80	300.04	137.22	171.93

योजना का नाम: मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम)

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	7.50	5.16	6.11	2.07	0.81
2	अरुणाचल प्रदेश	0.31	0.00	0.17	0.00	4.91
3	असम	3.64	3.39	2.62	0.00	14.21
4	बिहार	6.18	8.08	4.74	1.43	6.99
5	छत्तीसगढ़	6.20	1.17	4.28	3.70	1.80
6	गोवा	0.45	0.69	0.08	0.00	0.77
7	गुजरात	14.38	4.52	8.70	0.00	4.29
8	हरियाणा	3.69	10.20	3.24	17.80	16.67
9	हिमाचल प्रदेश	0.98	0.75	0.49	0.00	0.46
10	जम्मू और कश्मीर	2.21	0.00	0.70	14.08	8.01
11	झारखंड	1.58	0.00	0.97	0.00	0.55
12	कर्नाटक	13.59	5.76	9.98	3.06	5.99
13	केरल	3.13	0.00	1.16	0.73	1.51
14	मध्य प्रदेश	16.02	6.09	13.68	69.15	3.55
15	महाराष्ट्र	25.73	0.90	15.68	0.00	0.46
16	मणिपुर	0.38	0.90	0.16	0.00	7.32
17	मेघालय	1.30	0.32	0.23	0.00	0.00
18	मिजोरम	0.13	0.05	0.09	0.37	1.74
19	नगालैंड	1.20	2.56	0.30	12.26	14.00
20	ओडिशा	7.78	0.00	4.18	0.00	3.10
21	पंजाब	6.50	9.93	3.57	10.34	4.31
22	राजस्थान	19.65	0.00	16.43	0.00	0.00
23	सिक्किम	4.29	2.72	0.07	4.09	0.48
24	तमिलनाडु	6.01	0.00	4.59	5.66	4.89
25	तेलंगाना	8.07	9.32	4.61	10.56	0.00
26	त्रिपुरा	0.36	0.36	0.23	0.41	1.55
27	उत्तर प्रदेश	22.68	3.00	14.89	3.64	0.17
28	उत्तराखंड	1.03	0.00	0.63	0.65	2.49
29	पश्चिम बंगाल	7.93	1.56	4.60	0.00	0.00
30	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादरा एवं नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
33	लद्दाख		0.00	0.00	1.73	1.28
	कुल	192.90	77.42	127.21	162.36	112.73

योजना का नाम: राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य के नाम	पूर्ववर्ती एन.बी.एम.			पुनर्गठित एनबीएम		
		2016-17	वर्ष 2017-18 (केवल वृक्षारोपण के रखरखाव के लिए)	2018-19	2019-20	2020-21 (31.12.20 की स्थिति के अनुसार)	
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	11.84	2.73	0.25	
2	अरुणाचल प्रदेश	1.39	0.76	22.55	9.00	7.00	
3	असम	1.56	0.00	23.15	9.00	8.00	
4	बिहार	0.00	0.00	9.84	1.50	3.00	
5	छत्तीसगढ़	1.43	0.57	4.56	3.76	6.00	
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	गुजरात	1.53	0.90	0.00	9.28	3.00	
8	हरियाणा	-	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	हिमाचल प्रदेश	0.48	0.37	0.00	6.00	2.05	
10	जम्मू और कश्मीर	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	झारखंड	0.00	0.00	6.42	5.81	5.00	
12	कर्नाटक	1.79	1.26	16.73	7.75	8.00	
13	केरल	0.09	0.00	8.28	1.00	0.25	
14	मध्य प्रदेश	1.20	0.89	21.08	12.00	7.00	
15	महाराष्ट्र	0.18	0.17	19.88	10.84	8.00	
16	मणिपुर	2.72	2.17	9.00	9.75	6.50	
17	मेघालय	0.28	0.00	5.82	5.00	2.00	
18	मिजोरम	4.17	3.12	18.95	10.00	7.00	
19	नगालैंड	3.89	2.84	12.48	10.00	6.00	
20	ओडिशा	1.86	1.44	7.54	1.00	4.00	
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	राजस्थान	0.19	0.02	0.00	0.00	0.00	
23	सिक्किम	0.25	0.00	6.89	7.80	5.50	
24	तमिलनाडु	0.30	0.06	0.00	1.82	0.90	
25	तेलंगाना	0.00	0.00	6.69	1.00	0.25	
26	त्रिपुरा	0.21	0.09	24.59	12.20	10.00	
27	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	5.45	7.00	
28	उत्तराखंड	0.00	0.00	14.39	2.93	10.00	
29	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप		0.00	0.00	0.00	0.00	
31	चंडीगढ़		0.00	0.00	0.00	0.00	
32	दादरा और नगर हवेली		0.00	0.00	0.00	0.00	
33	दमन और दीव		0.00	0.00	0.00	0.00	
34	दिल्ली		0.00	0.00	0.00	0.00	
35	लक्षद्वीप		0.00	0.00	0.00	0.00	
36	पुडुचेरी		0.00	0.00	0.00	0.00	
	कुल	23.67	14.63	250.66	145.61	116.70	

योजना का नाम: वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य के नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	15.00	17.00	17.50	18.00	14.00
2	अरुणाचल प्रदेश	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00
3	असम	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00
4	बिहार	3.00	2.50	2.00	3.00	2.15
5	छत्तीसगढ	4.00	6.00	6.50	8.00	6.00
6	गोवा		0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	5.00	10.00	11.60	13.00	9.00
8	हरियाणा	3.50	0.00	1.00	2.00	0.50
9	हिमाचल प्रदेश	7.00	6.00	8.00	8.65	8.00
10	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	1.00	1.00	2.00	2.00	2.50
11	झारखंड	10.00	7.00	7.50	8.00	5.00
12	कर्नाटक	8.00	10.00	10.00	10.00	9.00
13	केरल	2.50	1.50	1.00	2.10	2.00
14	मध्य प्रदेश	10.00	4.00	2.00	4.50	4.00
15	महाराष्ट्र	30.00	25.00	25.00	26.00	19.00
16	मणिपुर	6.00	5.50	2.00	1.00	1.50
17	मेघालय	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00
18	मिजोरम	5.00	6.50	7.00	5.00	3.50
19	नगालैंड	7.00	8.00	9.00	7.00	6.00
20	ओडिशा	14.00	12.00	17.00	17.00	15.00
21	पंजाब	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	5.00	4.00	2.00	6.00	6.00
23	सिक्किम	5.00	3.00	2.40	2.00	2.00
24	तमिलनाडु	24.00	34.00	32.00	33.00	30.00
25	तेलंगाना	12.00	9.00	10.50	10.00	2.00
26	त्रिपुरा	6.00	4.00	6.00	4.00	3.00
27	उत्तर प्रदेश	15.00	20.00	20.00	34.00	30.00
28	उत्तराखंड	5.00	5.00	8.00	9.00	8.00
29	पश्चिम बंगाल	7.00	7.00	8.00	8.00	7.00
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप		0.00	0.00	0.00	0.00
31	चंडीगढ़		0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादरा और नगर हवेली		0.00	0.00	0.00	0.00
33	दमन और दीव		0.00	0.00	0.00	0.00
34	दिल्ली		0.00	0.00	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप		0.00	0.00	0.00	0.00
36	पुडुचेरी		0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	220.00	215.00	226.00	247.25	200.15

योजना का नाम: कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य के नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आंध्र प्रदेश	48.99	132.92	150.00	83.19
2	अरुणाचल प्रदेश	1.90	6.00	10.00	4.08
3	असम	1.40	10.00	30.00	15.41
4	बिहार	14.00	10.00	50.00	21.65
5	छत्तीसगढ़	10.00	30.00	50.00	24.58
6	गोवा	-			
7	गुजरात	6.00	7.00	15.00	25.84
8	हरियाणा	0.00	45.00	60.00	33.04
9	हिमाचल प्रदेश	4.95	11.70	15.00	34.7
10	जम्मू और कश्मीर	3.64	3.50	13.62	16.03
11	झारखंड	3.00	1.00	3.00	7.55
12	कर्नाटक	46.47	75.00	104.98	76.54
13	केरल	1.00	9.79	15.00	11.67
14	मध्य प्रदेश	20.00	50.00	100.00	89.75
15	महाराष्ट्र	15.00	34.13	151.71	77.92
16	मणिपुर	2.00	5.00	10.00	15.36
17	मेघालय	0.90	1.00	4.00	5.87
18	मिजोरम	2.00	5.00	8.00	5
19	नागालैंड	3.73	16.00	41.96	20.41
20	ओडिशा	37.28	66.27	72.96	64.45
21	पंजाब	52.09	48.50	30.00	19.96
22	राजस्थान	8.50	23.06	30.00	18.64
23	सिक्किम	2.40	2.50	5.00	5.58
24	तमिलनाडु	30.30	51.34	153.21	71.08
25	तेलंगाना	5.97	10.00	20.00	10.58
26	त्रिपुरा	2.00	15.52	50.00	28.29
27	उत्तर प्रदेश	39.77	43.97	75.00	66.18
28	उत्तराखंड	3.50	30.95	50.00	56.46
29	पश्चिम बंगाल	4.00	10.00	15.00	17.3
30	एक प्रायद्वीप	0.00			
31	चंडीगढ़	0.00	0		
32	दादरा और नगर हवेली	0.00	0		
33	दमन और दीव	0.00	0		
34	दिल्ली	0.00	0		
35	लक्षद्वीप	0.00	0		
36	पुडुचेरी	0.00	0		
	कुल	370.79	755.15	1333.44	927.11

योजना का नाम: समेकित बागवानी विकास मिशन [एमआईडीएच] (राष्ट्रीय बागवानी मिशन [एनएचएम] तथा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन [एचएमएनईएच])

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (27.01.2021)
1	आंध्र प्रदेश	64.03	84.03	114.00	114.00	120.00
2	अरुणाचल प्रदेश	32.30	32.30	26.00	26.00	22.00
3	असम	28.00	28.00	84.00	84.00	60.00
4	बिहार	26.31	26.31	22.50	22.50	25.00
5	छत्तीसगढ़	69.23	89.23	123.00	123.00	110.00
6	गोवा	2.52	2.52	4.50	3.00	3.00
7	गुजरात	71.39	91.39	127.00	127.00	110.00
8	हरियाणा	61.84	79.84	110.00	110.00	120.00
9	हिमाचल प्रदेश	32.00	32.00	27.50	55.00	55.00
10	जम्मू और कश्मीर	46.00	46.00	47.50	135.30	100.00
11	झारखंड	40.18	40.18	34.00	34.00	30.00
12	कर्नाटक	72.97	72.97	130.00	130.00	130.00
13	केरल	46.42	46.42	39.50	39.50	40.00
14	मध्य प्रदेश	45.35	45.35	38.50	38.50	65.00
15	महाराष्ट्र	88.97	108.97	158.00	158.00	130.00
16	मणिपुर	32.00	32.00	37.00	37.00	26.00
17	मेघालय	25.50	25.50	42.00	42.00	25.00
18	मिजोरम	31.50	41.50	30.00	30.00	30.00
19	नागालैंड	31.50	41.50	32.00	32.00	26.00
20	ओडिशा	49.91	49.91	89.00	89.00	67.00
21	पंजाब	39.86	39.86	71.00	71.00	47.00
22	राजस्थान	50.89	70.89	90.50	90.50	60.00
23	सिक्किम	30.50	30.50	25.00	25.00	25.00
24	तमिलनाडु	55.03	75.03	98.00	98.00	115.00
25	तेलंगाना	32.90	32.90	28.00	28.00	28.00
26	त्रिपुरा	33.00	33.00	44.00	44.00	26.00
27	उत्तर प्रदेश	37.27	37.27	67.00	67.00	80.00
28	उत्तराखंड	31.00	31.00	55.00	55.00	55.00
29	पश्चिम बंगाल	24.91	24.91	44.00	44.00	34.00
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादरा और नगर हवेली	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
33	दमन और दीव	0.00	1.50	1.50	1.50	1.00
34	दिल्ली	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00
35	लक्षद्वीप	0.80	0.80	0.80	0.80	0.50
36	पुडुचेरी	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00
37	लद्दाख		0.00	0.00	0.00	20.00
	कुल	1238.08	1397.58	1846.80	1960.60	1792.00

नोट: - रिपोर्ट किए गए खर्च में पूर्व वित्तीय वर्ष का अव्ययित शेष और अनंतिम शेष शामिल हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान 75.00 करोड़ रुपए की राशि और वर्ष 2018-19 के दौरान 75.00 करोड़ रुपए की राशि और वर्ष 2020-21 के दौरान 40.00 करोड़ रुपए की राशि, जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज, 2015 के लिए जारी की गई थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान, केरल में बाढ़ को कम करने के लिए रु. 56.03 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की गई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, तमिलनाडु में गाजा चक्रवात को कम करने के लिए 50.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, लंबित देयता को समाप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश को 10.14 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है।

योजना का नाम: विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रम को सहायता(आत्मा)

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	13.15	19.47	18.86	14.21	19.14
2	अरुणाचल प्रदेश	11.35	12.83	11.15	9.66	11.32
3	असम	5.83	13.31	6.11	6.07	20.03
4	बिहार	29.24	38.02	27.91	49.79	70.01
5	छत्तीसगढ़	17.14	14.93	12.26	15.68	20.39
6	गोवा	1.14	1.58	1.44	2.00	2.62
7	गुजरात	21.93	26.90	34.98	30.85	37.56
8	हरियाणा	3.34	11.66	10.27	10.81	17.62
9	हिमाचल प्रदेश	8.07	9.62	12.49	13.00	17.41
10	जम्मू और कश्मीर	6.79	7.07	8.39	7.00	20.12
11	झारखंड	16.53	26.01	18.49	21.43	28.94
12	कर्नाटक	8.41	13.90	25.84	21.52	30.51
13	केरल	11.81	11.49	11.19	11.39	16.63
14	मध्य प्रदेश	29.70	34.41	27.85	36.58	49.46
15	महाराष्ट्र	27.66	45.25	31.03	38.26	50.24
16	मणिपुर	3.69	10.14	9.48	7.84	8.28
17	मेघालय	3.74	6.34	7.33	9.54	8.35
18	मिजोरम	4.23	7.91	7.45	9.48	5.05
19	नागालैंड	10.75	13.55	19.49	15.30	12.58
20	ओडिशा	28.42	33.47	35.56	33.32	45.26
21	पंजाब	9.00	17.96	9.46	9.12	24.33
22	राजस्थान	29.25	32.92	23.23	19.35	31.41
23	सिक्किम	1.32	3.81	3.13	2.74	3.31
24	तमिलनाडु	21.09	39.82	45.41	39.52	54.14
25	तेलंगाना	3.77	15.04	2.70	4.49	15.41
26	त्रिपुरा	1.27	5.29	4.73	5.49	5.29
27	उत्तर प्रदेश	45.87	63.84	103.83	100.63	125.11
28	उत्तराखंड	6.34	8.55	7.81	12.00	15.83
29	पश्चिम बंगाल	27.05	42.45	39.42	38.11	48.64
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.08	1.18	1.50	1.80	2.60
31	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.25	0.40
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	पुडुचेरी	1.59	1.63	1.78	1.40	1.65
	कुल	411.54	590.35	580.55	598.63	819.62

* - 31.12.2020 तक जारी किया गया फंड

नोट : उपरोक्त के अलावा, चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को अस्थायी रूप से रु 2.70 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं, जिसके विरुद्ध 1.35 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

योजना का नाम: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

(रूपरे करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	13.09	23.23	80.78	83.23	80.78
2	बिहार	9.88	10.02	2.06	2.12	2.06
3	छत्तीसगढ़	5.68	3.81	20.20	20.81	20.20
4	गुजरात	3.02	1.75	0.00	0.00	0.00
5	गोवा	0.12	0.07	10.10	0.00	10.10
6	हरियाणा	0.60	0.35	0.00	0.00	0.00
7	झारखंड	3.02	8.18	15.15	15.61	15.15
8	कर्नाटक	16.47	9.56	10.10	10.40	10.10
9	केरल	3.60	23.50	2.22	2.29	2.22
10	मध्य प्रदेश	26.59	36.86	49.44	50.94	49.44
11	महाराष्ट्र	28.16	30.32	7.07	7.28	7.07
12	ओडिशा	9.67	5.62	14.54	14.98	14.54
13	पंजाब	1.51	9.44	2.02	2.08	2.02
14	राजस्थान	22.82	30.17	100.98	104.04	100.98
15	तमिलनाडु	3.38	1.97	4.04	4.16	4.04
16	तेलंगाना	9.07	21.97	0.00	0.00	12.85
17	उत्तर प्रदेश	17.38	12.02	10.10	10.40	10.10
18	पश्चिम बंगाल	3.63	2.11	0.00	0.00	0.00
19	असम	9.97	5.79	0.00	0.00	0.00
20	अरुणाचल प्रदेश	0.86	0.50	0.00	0.00	0.00
21	मिजोरम	1.54	0.90	0.00	0.00	0.00
22	मणिपुर	1.36	0.79	0.00	0.00	0.00
23	नागालैंड	1.09	0.63	0.00	0.00	0.00
24	सिक्किम	6.80	3.95	0.00	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	2.27	1.32	0.00	0.00	0.00
26	मेघालय	2.04	1.18	0.00	0.00	0.00
27	हिमाचल प्रदेश	4.99	9.32	2.27	2.34	2.27
28	जम्मू और कश्मीर	1.27	0.74	0.76	0.78	0.76
29	उत्तराखंड	24.93	16.73	118.15	121.73	118.15
30	अंडमान और निकोबार	3.42	1.99	0.00	0.00	0.00
31	दमन और दीव	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
32	दादर नगर	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
34	पुडुचेरी	0.00	0.57	0.67	0.69	0.67
35	चंडीगढ़	0.00	0.00	2.19	2.25	2.19
36	लक्षदीप	0.00	0.00	4.54	4.68	4.54
37	लद्दाख		0.00	0.00	0.00	8.87
	कुल	238.23	350.65	457.37	460.83	479.09

योजना का नाम: कृषि वानिकी उप-मिशन(एसएमएएफ)

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य के नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	6.30	0.00	2.50	1.50	0.15
2	अरुणाचल प्रदेश*					-
3	असम*					-
4	बिहार	0.00	6.00	3.00	1.50	3.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	5.00	3.00	2.00	2.00
6	गोवा*			0.00	0.00	-
7	गुजरात	9.00	0.00	5.00	5.00	4.00
8	हरियाणा	3.50	0.00	2.00	0.50	1.00
9	हिमाचल प्रदेश	2.30	1.05	2.00	2.00	1.50
10	जम्मू और कश्मीर	0.00	3.00	3.00	2.00	1.50
11	झारखंड	0.00	8.00	4.00	2.50	3.00
12	कर्नाटक	6.50	9.00	5.56	7.00	5.00
13	केरल	0.00	5.00	3.00	0.50	0.15
14	लद्दाख			-	-	1.00
15	मध्य प्रदेश	8.40	0.00	3.50	0.00	1.50
16	महाराष्ट्र	0.00	8.00	4.00	1.50	2.00
17	मणिपुर *			0.00	0.00	-
18	मेघालय	0.00	2.00	1.50	2.00	0.50
19	मिजोरम	0.00	1.50	1.50	3.50	2.00
20	नगालैंड	0.00	2.00	1.50	3.50	2.00
21	ओडिशा	0.00	8.00	4.00	1.00	2.00
22	पंजाब #	4.00	0.00	4.92	5.00	4.00
23	राजस्थान	0.00	12.00	4.00	1.00	0.15
24	सिक्किम *			0.00	0.00	-
25	तमिलनाडु	5.00	0.00	2.50	4.00	3.50
26	तेलंगाना	0.00	0.00	3.00	3.00	0.15
27	त्रिपुरा *					-
28	उत्तर प्रदेश	0.00	12.00	4.00	4.00	4.00
29	उत्तराखंड*					-
30	पश्चिम बंगाल*					-
31	अंडमान एवं निकोबार*					-
32	चंडीगढ़ *					-
33	दादरा और नगर हवेली *					-
34	दमन और दीव *					-
35	दिल्ली *					-
36	लक्षद्वीप *					-
37	पुडुचेरी *					-
	कुल	38.70	82.55	67.48	53.00	44.10

नोट:-

* इन राज्यों में एसएमएएफ चालू नहीं है

** बजट अनुमान: 2020-21 36.00 करोड़ रूपए

** संशोधित अनुमान 2020-21. 29.00 करोड़ रूपए

लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को पहली बार सीएफवाई योजना से संबद्ध किया गया है।

पंजाब, आईएफडी द्वारा अनुमोदित परंतु यूसी प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा

योजना: राष्ट्रीय कृषि ई-शासन योजना (एनईजीपी-ए)

रूपए लाख में

क्र.सं.	राज्य के नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 जनवरी, 21
1	आंध्र प्रदेश	124.46	185.49	109.38	323	
2	अरुणाचल प्रदेश	81.08	127.07	130	85	
3	बिहार	364.59	297.4	301.5	334	
4	छत्तीसगढ़	127.52	78.31	112.47	188	
5	गोवा	23.15	0	0		
6	गुजरात	198.67	0	170.34		
7	हरियाणा	108.11	0	94.34	111	
8	जम्मू और कश्मीर	115.42	73.96	101.79		
9	मणिपुर	53.23	0	50		
10	मेघालय	43.24	30.96	70	60	
11	मिजोरम	32.75	49.84	70	70	
12	नगालैंड	63.28	45.3	120		
13	ओडिशा	225.06	161.13	191.36	476	
14	पंजाब	119.69	0	103.97		
15	राजस्थान	198.03	158.2	170.78		
16	सिक्किम	29.19	0	50		
17	तमिलनाडु	296.86	212.53	240.18	355	
18	तेलंगाना	76.7	54.91	68.96		
19	त्रिपुरा	43.63	96.8	100	115	
20	उत्तर प्रदेश	587.11	800.77	477.6		
21	उत्तराखंड	78.6	56.27	71.71	74	
22	पश्चिम बंगाल	238.99	171.1	195.64		
23	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	10.37	0	21.48		
24	पुडुचेरी	14.82	0	24.17		
25	चंडीगढ़	8.78	0	8.53		
26	दादरा और नागर हवली	8.78	0	8.53		
27	दमन और दीव	10.37	0	10.7		
28	दिल्ली	8.78	0	9.86		
29	लक्षद्वीप	8.78	0	16.72		
	संघ राज्य क्षेत्र				100	100
	अन्य राज्य				309	1800
	कुल	3300.04	2600.04	3100.01	2600	1900
